भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1638

(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत बकाया मजदूरी

1638. श्री के. सुधाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही केरल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 248 करोड़ रुपये से अधिक का मजदूरी बकाया है जिससे 26 लाख सक्रिय कामगारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में केरल के लिए 369-370 रुपये की दैनिक मजदूरी अधिसूचित करने के क्या कारण हैं , जो राज्य में ग्रामीण श्रमिकों के लिए वास्तविक बाजार दर के आधे से भी कम है , जिसके कारण इस योजना से बड़े पैमाने पर कामगारों का पलायन हो रहा है;

(ग) क्या विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसमें 60:40 प्रतिशत के वित्तपोषण के पैटर्न को अनिवार्य किया गया है , को पुर:स्थापित करने से राज्य के राजकोष पर 1,600 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा और केरल जैसे कुशल राज्यों को प्रभावी रूप से दंडित करेगा; और

(घ) क्या कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए कार्य को "रोकने" का नया उपबंध 2005 के मूल अधिनियम के अधिकार-आधारित "मांग-आधारित" कार्य की मांग की भावना का उल्लंघन करता है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत, मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। चूंकि मजदूरी भुगतान की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस (लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती है , जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद प्राप्त निधि अंतरण आदेश के आधार पर होती है, इसलिए निधि जारी होने की स्थिति दैनिक रूप से अद्यतन होती रहती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में , पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से की जाती है। तदनुसार , वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियों का निपटान पहले ही किया जा चुका है।

दिनांक 09.02.2026 तक केरल के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियां 209.32 करोड़ रुपये हैं।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (08.02.2026 तक), केरल को मजदूरी घटक के लिए 2617.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा , यानी आजीविका के लिए वैकल्पिक विकल्प तब प्रदान करती है जब कोई बेहतर रोजगार का अवसर उपलब्ध न हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से राहत देने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर साल मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू की जाती है।

केरल राज्य के विषय में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों हेतु केरल राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर 346 रुपये थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित कर 369 रुपये कर दिया गया है। यह मजदूरी दर में लगभग 6.65% की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया जाता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक और अतिरिक्त मजदूरी अपने स्वयं के स्रोतों से प्रदान कर सकती हैं।

(ग): यह चिंता कि 60:40 की केंद्र-राज्य वित्तीय साझाकरण पद्धति राज्यों पर अत्यधिक बोझ डालेगी, यह भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के ऐतिहासिक और नीतिगत संदर्भ से पुष्ट नहीं होती है।

ऐतिहासिक रूप से, देश में कई प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण मॉडल पर संचालित हुई हैं। उदाहरण के लिए:

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) में 75:25 साझाकरण पद्धति का पालन किया गया।
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) ने 50:50 मॉडल अपनाया।
- जवाहर रोजगार योजना (जेजीआरवाई) 80:20 के आधार पर संचालित थी।
- एसजीआरवाई, ईएएस और जेसीएसवाई जैसी योजनाएं भी केंद्र-राज्य साझाकरण पद्धति के तहत लागू की गई थीं, जो आमतौर पर 75:25 के अनुपात में थीं।

वर्तमान में, लगभग सभी क्षेत्रों की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर लागू की जा रही हैं। इसलिए , इस अधिनियम के तहत अपनाई गई 60:40 पद्धति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप ही है।

यह मॉडल राज्यों को ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। 'विकसित ग्राम पंचायतों' से 'विकसित भारत' की यात्रा के लिए राज्यों की सुदृढ़ स्वामित्व और जवाबदेही की आवश्यकता है , और साझा वित्तपोषण फ्रेमवर्क इस साझेदारी दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं , जहां 90:10 का केंद्र-राज्य साझाकरण पद्धति लागू होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों वाले राज्यों पर अनुचित दबाव न पड़े।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम स्पष्ट रूप से यह भी प्रावधान करता है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या अन्य असाधारण परिस्थितियों की स्थिति में , राज्य सरकारें केंद्र को विशेष परिचालन छूट की सिफारिश कर सकती हैं। केंद्र सरकार को ऐसी स्थितियों में अनुमेय कार्यों के विस्तार , दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में छूट और रोजगार प्रावधानों में

अस्थायी वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है। इस प्रकार यह फ्रेमवर्क कठोर नहीं, बल्कि उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी, अनुकूलनशील और संवेदनशील है।

कुल मिलाकर, वित्तपोषण पद्धति वित्तीय उत्तरदायित्व, राज्य की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए तैयार किया गया है।

(घ): मुख्य कृषि अवधि काल के दौरान कुल 60 दिनों की रोक का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने और कृषि कार्यों का सहायता देने के लिए लाया गया है, जो ग्रामीण भारत में आजीविका का प्राथमिक स्रोत बनी हुई है।

देश के लगभग 86% किसान लघु और सीमांत श्रेणियों के हैं। बुआई और कटाई के मुख्य अवधिकाल के दौरान, इन किसानों को समय पर कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए , इन जमीनी स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है।

इस फ्रेमवर्क के तहत, राज्यों को स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर , बुआई और कटाई के मुख्य अवधिकाल के दौरान कुल 60 दिनों की संचयी अवधि अधिसूचित करने का अधिकार है जिसमें कार्यक्रम के तहत कार्यों को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों की कमी के कारण कृषि कार्यकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों।

यह भी स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी पूरी तरह से विद्यमान है। यह प्रावधान केवल कार्यों के समय और उसके क्रम से संबंधित है न कि रोजगार की पात्रता में किसी भी कमी से। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और कृषि उत्पादकता दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मजबूत बनाना है।

इस प्रकार, इस प्रावधान का उद्देश्य मजदूरी रोजगार का कृषि क्षेत्र की जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करवाना है ताकि दोनों एक साथ बढ़ सकें और जिससे अंततः ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल सके।